न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 31 / 2026(GCMS 2026/74)

(RTI No. 212735993966579)

श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लालराम ब्राह्मण गांव खांटा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर : 83028–43668)

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं **तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामचन्द्र उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर को ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2026 से प्रस्तुत करके पांच बिन्दुओं सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह ऑनलाईन अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी रामचन्द्र ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 24.02.2026 से तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थी :

1. सरकारी खाता भूमि 1 मिलकियत खाता सरकार
2. सरकारी खाता अराजीराज भूमियां आराजीराज भूमि का उपयोग में मिलकियत खाता सरकार की भूमि का उपयोग सरकारी खाता की जमीन का अतिक्रमण किया जाना कब्जा काश्त पर राजस्व अधिकारियों की कोई जुम्मेवारी नहीं हैं
    1. गांव खाटां बारानी मुरब्बा नम्बर 87 की 25 बीघा सरकारी जमीन का राजस्व न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश प्रभावी है तो स्थगन आदेश की प्रमाणित शुदा नकल उपलब्ध करवाई जाये।
    2. गांव खाटा बारानी मुरब्बा नम्बर 87 की 25 बीघा जमीन कुर्क की फसल चोरी से उठाई गई मुकदमा नम्बर 300 / 2023 के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने दायित्व जुमेवारी पालना रिपोर्ट की प्रमाणित सुदा नकल
    3. सरकारी जमीन की अभिरक्षा करने वाले लोक सेवक का पदनाम, पता की सम्पूर्ण जानकारी देने बाबत।
    4. गांव खांटा बारानी मुरब्बा नम्बर 87 की 2[illegible] मुरब्बा नम्बर 156 की 25 बीघा जमीन पर कि[illegible] अ[illegible]र है, प्रमाणित शुदा जानकारी दी जावे।
    5. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का [illegible] सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रमाणित शुदा जानकारी दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 31 / 2026
(GCMS No. 2026/74)
(RTI No. 212735993966579)
रामचन्द्र बनाम तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर

तहसीलदार(राजस्व), रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक सू.का.अ. / 2026 / 850 दिनांक 04.05.2026 से अपील का जवाब प्रेषित कर, अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व / 2026 / 515 दिनांक 24.03.2026 अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आर.टी.आई पोर्टल पर दर्ज प्रकरण के सम्बन्ध में परिवादी रामचन्द्र पुत्र लालाराम खाटां के प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं की जांच उपतहसीलदार, समेजा से करवायी गई, मुताबिक रिपोर्ट आप द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार से प्रेषित है:
>
> 1. बिन्दु संख्या 1 से सम्बन्धित न्यायालय से संबंधित होने के कारण मूल की प्रमाणित प्रतिलिपि संबधित न्यायायल से प्राप्त की जानी उचित है।
> 2. बिन्दु संख्या 2 से संबंधित चाही गई सूचना न्यायालय से संबंधित होने के कारण मूल की प्रमाणित प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय से प्राप्त की जानी उचित है।
> 3. बिन्दु संख्या 3 से संबधित चाही गई सूचना से यह है कि सन्तरो देवी पत्नी वेदप्रकाश पुत्री हरलाल मार्फत मदनलाल पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन खांटा द्वारा दिनांक 26.02.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
> 4. बिन्दु संख्या 4 से संबंधित सूचना चक खाटां बारानी के मु.नं. 87 व 156 में धारा 22 वर्ष 2021 में नीलामी राशि 9100 रूपये और वर्ष 2022 में 15100 रूपये जमा खजाना राज की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है व परिवादी द्वारा वर्ष 2023 में उपरोक्त रकबे की कुर्क की गई सफल से संबंधित चोरी का मुकदमा संख्या 300 / 2023 के संबंध में जानकारी बाबत सूचना चाही गई है, जो कि उक्त फौजदारी मुकदमा पुलिस थाना रायसिंहनगर के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण संबंधित पुलिस थाना से सूचना जी जानी उचित है। वर्ष 2024–25 व 2025–26 में उपरोक्त रकबे पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर (न्यायालय) निगरानी / एल.आर.एक्ट. / संख्या 4919 / 2020 अनवान् सन्तरों देवी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर द्वारा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसकी सुनवाई पेशी तारीख 20.03.2026 में निहित की गई हैं अतः माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश [illegible] कारण परिवाद से संबंधित कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
> 5. बिन्दु संख्या 5 से संबंधित सूचना [illegible] भूमि के संबंधि में माननीय न्यायालय [illegible] के न्यायालय में स्थगन प्रभावी है। अतः माननीय न्यायालय [illegible] स्थगन आदेश होने के कारण परिवाद से संबंधित कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 31/2026
(GCMS No. 2026/74)
(RTI No. 212735993966579)
रामचन्द्र बनाम तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है,** जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में** कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए **प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर ने** अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:47 IST
Reason: SelfAttested

(...)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर